623वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 फरवरी, 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. Case No 9559/2022 Shri Jitendra Singh Gurjar, Village-Lakhangaon, Tehsil-Shivpuri, District-Shivpuri (MP)-473551 Prior Environment Clearance for Deori Khurd Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (1,33,600 cum per annum) (Khasra No. 228/1), Village-Deori Khurd, Tehsil-Narwar, District-Shivpuri (MP)

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 228/1), Village-Deori Khurd, Tehsil-Narwar, District-Shivpuri (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जितेंद्र सिंह गूर्जर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑन लाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र कमांक 1661 दिनांक 06/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में लगभग 245 मीटर तथा उत्तर–पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर नहर, पश्चिम दिशा में 15 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में 350 मीटर पर आबादी तथा एकल प्रमाण–पत्र अनुसार 200 मीटर पर मरघट है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खनन् के साथ एम–सेंड प्लॉट की स्थापना भी की जाना प्रस्तावित है तथा आवंटित खनन् स्थल पहाड़ पर स्वीकृत है अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में सरफेस मेप पर एम–सेंड प्लॉट की लोकेशन तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित योजना प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के

पेज नं.–26 के सरल क्रमांक–36 पर दर्ज है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई. आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में लगभग 245 मीटर तथा उत्तर–पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर नहर, पश्चिम दिशा में 15 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में 350 मीटर पर आबादी तथा एकल प्रमाण–पत्र अनुसार 200 मीटर पर मरघट है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खनन् के साथ एम–सेंड प्लॉट की स्थापना भी की जाना प्रस्तावित है तथा आवंटित खनन् स्थल पहाड़ पर स्वीकृत है अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में सरफेस मेप पर एम–सेंड प्लॉट की लोकेशन तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित योजना प्रस्तुत की जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

2. **Case No 9561/2022 M/s Rana Chemicals & Marble Pvt. Ltd., Lessee, Shri Vivek Singh Saraswar, Village-Bahiyatikur, Tehsil-Lalburra, District-Balaghat (MP)-481001 Prior Environment Clearance for Bahiyatikur Manganese Mine in an area of 4.200 ha. (5000 TPA) (Khasra No. 143/1, 144/1, 232/1, 233/4 etc), Village-Bahiyatikur, Tehsil-Lalburra, District-Balaghat (MP)**

This is case of Manganese Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 143/1, 144/1, 232/1, 233/4 etc), Village-Bahiyatikur, Tehsil-Lalburra, District-Balaghat (MP) 4.200 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 22/02/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

3. **Case No 9562/2022 Shri Rahul Tank, Lessee, Old By Pass Road, Manglam City, H. No. 162, Shri Ram Villa, District-Ratlam (MP)-457001 Prior Environment Clearance for Sanwaliyarundi Stone Quarry in an area of 1.90 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 3/2), Village-Sanwaliyarundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/2), Village-Sanwaliyarundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल टॉक (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री प्रदीप जोशी (ऑन लाईन), श्री रामराधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र कमांक 2119 दिनांक 19/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 160 मीटर की दूरी पर मौसमी नदी तथा पश्चिम दिशा में 180 मीटर पर पक्का रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र कमांक 2119 दिनांक

19/12/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है, आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये। **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 160 मीटर की दूरी पर मौसमी नदी तथा पश्चिम दिशा में 180 मीटर पर पक्का रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 2119 दिनांक 19/12/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है, आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

4. **Case No 9563/2022 Shri Munendra Singh, Meera Nagar, Morar Gird, District-Gwalior (MP)-474006 Prior Environment Clearance for Badwari Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (1,99,920 cum per annum) (Khasra No. 1520, 1521), Village-Badwari, Tehsil-Morena, District-Morena (MP**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1520, 1521), Village-Badwari, Tehsil-Morena, District-Morena (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जितेंद्र सिंह गूर्जर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑन लाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 990 दिनांक 13/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में लगभग 170 मीटर की दूरी पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन का बॉटलिंग प्लांट, पश्चिम दिशा में 200 मीटर पर जल रोकने की संरचना तथा 80 मीटर पर प्राकृतिक नाला है अतः इनकी संरक्षण योजना तथा खनन् क्षेत्र के अंदर से कोई पाईप लाईन या वृक्षो की कतार जैसी संरचना परिलक्षित हो रही है जिसके बारे में संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–22 के सरल क्रमांक–71 पर दर्ज है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई. आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पूर्व दिशा में लगभग 170 मीटर की दूरी पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन का बॉटलिंग प्लांट, पश्चिम दिशा में 200 मीटर पर जल रोकने की संरचना तथा 80 मीटर पर प्राकृतिक नाला है अतः इनकी संरक्षण योजना तथा खनन् क्षेत्र के अंदर से कोई पाईप लाईन या वृक्षो की कतार जैसी संरचना परिलक्षित हो रही है जिसके बारे में संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

5. <u>Case No 9566/2022 Smt. Pramila Sharma, Director, M/s Vaishnavi Enviro Care Waste Management System, House No. 85, Vinay Grah Nirman Society, Hoshangabad Road, Jatkhedi, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)-462026. Prior Environment Clearance for "Common Biomedical Waste Treatment Facility" at Khasra No.-559/1, Village-Kashipura, Tehsil & District-Chhatarpur, (M.P.) Area = 4270 Sq.m (1.055 Acres) , Proposed Capacity: 1 Incinerator of 200 Kg/hr, 1 Autoclave of 100 L/batch, and 1 Shredder of 100 kg/hr of incinerator . Env. Consultant - M/s. Shivalik Solid Waste Management Limited, Dhakoli, Zirakpur, Punjab</u>

This is a case of Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatment Facility at Khasra No.-559/1, Village- Kashipura, Tehsil & District-Chhatarpur, (M.P.).

The proposed project is for setting up of common bio-medical waste treatment facility and project falls under Category "B" Projects of activity 7(da) as per EIA Notification dated 14th September, 2006 and its subsequent amendments dated 17th April 2015, under Bio- Medical Waste Treatment Facilities. Online application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal and necessary recommendations.

The case was presented by Environment Consultant Dr. Draksha Gupta, M/s. Shivalik Solid Waste Management Limited, Dhakoli, Zirakpur, Punjab and PP Smt. Pramila Sharma, Director on dated 22/02/23 wherein PP stated that proposed Common Bio Medical Waste Treatment Facility involves collection, Transportation, storage and treatment of Biomedical waste from health care facilities and this proposed project is for temporary storage and treatment of Biomedical Waste. PP further submitted that in a reply dated 16/11/22

submitted against EDS saught by SEIAA we have committed that "We have applied for diversion of land and same will submitted at the time of Final EIA". Simillarly, in another EDS reply dated 26/12/22, PP has submitted that "We have applied for DFO Letter in the respective department same will submitted as soon as received" and hence the DFO letter shall be submitted with EIA report. During presentation it was observed by the committee that site is located on private land on the western side of a pucca road at a distance of 90 meters and 300 meters away from the habitated area on the NE side and 500 meters away from the habitated area on the NW side. During presentation it was also observed that 09 KL ground water abstraction is proposed, thus PP shall obtain CGWB NOC and submit the same with EIA report.

During presentation it was informed by the committee members that a complaint made by M/s Indo Tech Waste Solutions, Chhatarpur (copy enclosed as annexure-1) is mailed to them stating that application in case no. 9566/2022 (M/s Vaishnavi Environ Care Waste Management system, Chhatarpur) is in violation of 75 kms distiance restriction as per rule 08 of Coverage Area of CBWTF. It is mentioned in the complaint that the proposed site of M/s Vaishnavi Environ Care Waste Management system, Chhatarpur is at an aerial dstane of 49 kms from the complainents site M/s Indo Tech Waste Solutions site at Tikamgarh and also does not meets the criteria of 10,000 beds. The consultant and PP of M/s Vaishnavi Environ Care Waste Management system, Chhatarpur submitted that as per the Guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment & Disposal Facilities published by CPCB at point 02 (b) " Criteria for development of a new CBWTDF for a locality or region" clearly states that SPCB/PCC is required to conduct gap analysis wrt coverage area. MP Pollution Control Board has has conducted the gap analysis study entitled "Review of coverage areas of CBWTDF of MP" and concluded in Outcome/ Recommendations at point no. 5 that " in near future more & more facilities may be allowed to ensure at least one facility in each district as per field conditions", and accordingly as per gap analysis report, they have proposed this facility in Chhatarpur. The committee deliberated on this issue and observed that the issue of mushrooming of CBWTF needs to be resolved at SEIAA level and some policy decision shall be taken in consultation with the stack holders such as Health Departments, Vatinery Department, MP Pollution Control Baord etc to avoided such situation. The SEAC is appraising the ToR on the basis of site suitability/sensitivities and subject to the policy decision taken by SEIAA as proposed above, committee after deliberations decided to recommend standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA with following additional TORs and as per conditions mentioned in Annexure-D :-

a. Proposed land is an agricultural land hence; change in land use - diversion documents shall be submitted with EIA report.

b. DFO letter stating distance of proposed site from National parks and Senturies shall be submitted with EIA report.
c. Since ground water abstraction is proposed, the permission from CGWB shall be submitted with EIA report.
d. PP shall carry out comprehensive gap analysis through data authentication from Government agency and justify their proposal for establishment of another CBWT facility within 75 Kms.
e. The CBWT facility is not proposed in notified industrial area. Thus PP shall justify their site selection & location criteria as per clause 6(b) of CPCB Guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment & Disposal Facility with all sensitives features.
f. Detailed Water balance shall be submitted with EIA report.
g. Facility should be developed in accordance with the provisions made in the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by GOI and Guidelines published by CPCB for Common Bio-medical Waste Treatment Facilities.
h. Elaborate in the EIA report considering that the proposed technology is "Best Available Technology" of CBWTF.
i. Plume Dispersion Modeling study wrt nearby habitations shall be carried out and result discussed in the EIA report shall be conducted.
j. Justify in EIA report, how unit will remain zero discharge.
k. Disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
l. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.
m. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report.
n. Maximum storage time of Bio-medical waste within the facility and disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
o. Monitoring of VOC should be added in the proposed monitoring protocol of EIA study.
p. Proposal for GPS enable vehicles and their route maps shall be discussed in the EIA report.
q. Elaborate handling and disposal of hazardous waste and possible spillage avoidance in the EIA report.
r. Ash storage and sharp pit design criteria shall be discussed in the EIA report.
s. If any case is under consideration in any court of law with respect to this facility, same shall be reported/decision taken by court of law (orders/judgments) with its chronology till date in EIA report.

623वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 फरवरी, 2023

6. <u>Case No 9569/2023 Ms Shashi Bhati, R/o 220, Elora Enclave, Dayal Bagh, District-Agra (UP)-282005 Prior Environment Clearance for Bela Stone Mine in an area of 1.425 ha. (45600 cum per annum) (Khasra No. 288), Village-Bela, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 288), Village-Bela, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP) 1.425 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शशी भाटी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 11990 दिनांक 18/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन अपलोड अक्षांश–देशांश के आधार पर (गूगल इमेज अनुसार खदान) इस प्रकरण के को–आर्डिनेट गूगल इमेज अनुसार 02 अन्य प्रकरणों (कमशः प्रकरण क्रमांक 9613/23 एवं 9612/23) को ओव्हरलेप/इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि की यह को–आर्डिनेट हेंड हेल्ड जी.पी.एस. डिवाईस से लिये गये है जिसके कारण त्रुटि आने की संभावना है अतः वे डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर देगे तथा उनको पर्यावरणीय अध्ययन हेतु टॉर दे दिया जाये ताकि समय की बचत हो सके। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि उपरोक्त परिस्थति में परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में लगभग 90 मीटर की दूरी पर रेलवे लाईन है तथा दक्षिण–पूर्व दिशा में 490 मीटर रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । समिति ने यह भी अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करले कि रेल्वे लाईन के कारण प्रतिबंधित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु आवश्यक क्षेत्र उपलब्ध होगा अथवा नही । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 11990 दिनांक 18/11/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है, आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर दिशा में लगभग 90 मीटर की दूरी पर रेलवे लाईन है तथा दक्षिण–पूर्व दिशा में 490 मीटर रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करले कि रेल्वे लाईन के कारण प्रतिबंधित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु आवश्यक क्षेत्र उपलब्ध होगा अथवा नही ।
2. परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. एकल प्रमाण–पत्र कमांक 11990 दिनांक 18/11/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है, आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।
5. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

7. **Case No 9575/2023 M/s Raj Corporation Ltd., Shri Jagdish Singh, Properitor, Bhadakur Marg, Ward No. 14, Thana Phoop, District-Bhind (MP)-477555 Prior Environment Clearance for Jiganiya Stone Quarry in an area of 2.612 ha. (39455 cum per annum) (Khasra No. 309/1/2, 309/3/3 & 309/1/2), Village-Jiganiya, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP)**

This is case of Stone Quarry . The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 309/1/2, 309/3/3 & 309/1/2), Village-Jiganiya,

Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP) 2.612 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जितेंद्र सिंह गूर्जर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑन लाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 17044 दिनांक 22/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 215 मीटर की दूरी पर आबादी तथा 165 मीटर पर रोड़, 335 मीटर पूर्व दिशा में मंदिर तथा उत्तर दिशा में 60 मीटर पर कच्चा रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र 02 भागो में स्वीकृत है अतः इसके संदर्भ स्थिति ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्पष्ट की जाये । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–54 के सरल क्रमांक–159 पर दर्ज है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई. आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 215 मीटर की दूरी पर आबादी तथा 165 मीटर पर रोड़, 335 मीटर पूर्व दिशा में मंदिर तथा उत्तर दिशा में 60 मीटर पर कच्चा रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करले कि उपरोक्त कारणो से प्रतिबंधित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु आवश्यक क्षेत्र उपलब्ध होगा अथवा नही ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवंटित खनन् क्षेत्र 02 भागो में स्वीकृत है अतः इसके संदर्भ स्थिति ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्पष्ट की जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

8. <u>Case No 9576/2023 Shri Banne Gorshiya, Lessee, R/o Village-Shankarpur, Maksi Road District-Ujjain (MP)-456010 Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand Quarry in an area of 1.800 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 188), Village-Surjanwasa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP)</u>

This is case of Stone and M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 188), Village-Surjanwasa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) 1.800 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री बने गोरशिया (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1951 दिनांक 10/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 27 मीटर की दूरी पर मंदिर एवं तालाब, दक्षिण दिशा में 280 मीटर तथा पूर्व दिशा में 300 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन 15,582 घनमीटर/वर्ष (स्टोन 7791 एवं एम–सेंड 7791) हेतु आवेदन किया गया है जबकि अनुमोदित खनन् योजना में उत्पादन क्षमता 15,000 घनमीटर /वर्ष (स्टोन 7500 एवं एम–सेंड 7500) है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवेदन में त्रुटिवश उत्पादन क्षमता 15,582 घनमीटर/वर्ष उल्लेखित हो गई है अतः उत्पादन क्षमता अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 15,000 घनमीटर /वर्ष (स्टोन 7500 एवं एम–सेंड 7500) टॉर दिया जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में यह खदान 3.0 हे. क्षेत्र में 2008 से 2018 तक श्री दिनेश शर्मा के नाम से स्वीकृत थी जिसे 2850 घनमीटर /वर्ष क्षमता हेतु ई.

सी. प्राप्त थी । अब यह खदान् नई खदान के रूप में श्री बने गोरशिया के नाम से 1.80 हे. में स्वीकृत हुई है, अतः यह नया प्रकरण है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि माईन प्लॉन के अनुसार पूर्व में उत्तर दिशा में एक पिट जो 03 मीटर का है जिसमें से 19,800 घन मीटर रिजर्व निकाला गया है । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 27 मीटर की दूरी पर मंदिर एवं तालाब, दक्षिण दिशा में 280 मीटर तथा पूर्व दिशा में 300 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज है किंतु अपलोडिड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपठनीय होने के कारण पठनीय जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं किया गया है, अतः ई.आई.रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें । फार्म–2 के लेंड यूज में

चारागाह उल्लेखित है अतः परियोजना प्रस्तावक 1.80 हे. के समतुल्य क्षेत्र में चारागाह विकास की योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करेगा ।

9. **Case No 9589/2023 Shri Satish Bansal, Owner, R/o Village-Tatarpur, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)-475661, Prior Environment Clearance for Tatarpur Stone (Gitti) Quarry in an area of 1.50 ha. (1,00,000 cum per annum) (Khasra No. 626, 627 (New 777, 793), Village-Tatarpur, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)**

This is case of Stone (Gitti) Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 626, 627 (New 777, 793), Village-Tatarpur, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 1.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सतीश बंसल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 918 दिनांक 12/08/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर रोड, पश्चिम दिशा में 260 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण दिशा में 290 मीटर पर जल रोकने की संरचना है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में पूर्व में डिया से ई.सी. प्राप्त की गई थी जो श्रीमती सुदेवी निरंजन (पत्र क्रमांक 51/2016 दिनांक 23/6/16) जिसकी क्षमता 20,000 घन मीटर प्रतिवर्ष है तथा बाद श्री सतीश बंसल के नाम से दिनांक 24/11/16 को स्थानांतरित हो गई है। चूंकि आवेदन 1,00,000 घन मीटर प्रतिवर्ष हेतु किया गया है अतः प्रकरण क्षमता विस्तार का है अतः पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का सक्षम प्राधिकारी से पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–23 के सरल क्रमांक–18 पर दर्ज है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 970 मीटर की दूरी पर आबादी, पश्चिम दिशा में 20 मीटर पर जल रोकने की संरचना, उत्तर दिशा में 15 मीटर पर एक शेड/घर एवं 300 मीटर पर पक्का रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना तथा 15 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित एक शेड/घर के बारे में संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।

2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. लीज स्वीकृति आदेश में खसरा नं. 137/1, 137/2 एवं 139 उल्लेखित है जबकि फार्म–1 में 165,166,171 उल्लेखित किया गया है, इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

10. <u>Case No 9590/2023 Shri Dheeraj Firojia, Owner, R/o 24, Tatya Tope Marg, Freeganj, District-Ujjain (MP)-456001, Prior Environment Clearance for Banskhedi Murrum Quarry in an area of 9.00 ha. (30000 cum per annum) (Khasra No. 280/3, Village-Banskhedi, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP)</u>

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 280/3, Village-Banskhedi, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) 9.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री धीरज फिरोजिया (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1608 दिनांक 16/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान

स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 मीटर पर आबादी, पक्का रोड़ पश्चिम दिशा में 260 मीटर, पूर्व दिशा में 60 मीटर एवं उत्तर दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़, कच्चा रोड़ दो जगहों पर आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर से निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरूम का होने के कारण इसमें खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र का उत्तरी–पूर्व भाग गूगल इमेज अनुसार वर्ष 2016 से खुदा हुआ है तथा अनुमोदित खनन् योजना में भी पूर्व में 5874 घन मीटर का खनन् दिखाया गया है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराना पिट है जिसका विवरण खनन् योजना में दिया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान खनन् का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्याय–14 के सरल क्रमांक–09 पर दर्ज है तथा प्रकरण मुरूम का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 मीटर पर आबादी, पक्का रोड़ पश्चिम दिशा में 260 मीटर, पूर्व दिशा में 60 मीटर एवं उत्तर दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़, कच्चा रोड़ दो जगहों पर आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर से निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

11. <u>Case No 9577/2023 Smt. Reena Yadav, Lease Owner, R/o Tayde Colony, District-Ashok Nagar (MP)-473446 Prior Environment Clearance for Badera Granite Mine in an area of 2.00 ha. (2500 cum per annum) (Khasra No. 669), Village-Badera, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP)</u>

This is case of Granite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 669), Village-Badera, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रीना यादव (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 17044 दिनांक 22/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में लगभग 530 मीटर की दूरी पर बेतवा नदी तथा 07 मीटर पर कच्चा रोड़, एक कच्चा रोड़ दक्षिण दिशा में 40 मीटर पर, एक कच्चा रास्ता/पगडंड़ी खनन् क्षेत्र के बीच से निकल रहा है तथा राजघाट तालाब दक्षिण दिशा में 1.40 किलोमीटर की दूरी पर है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण ग्रेनाइट माईनिंग का होने के कारण खनन् कार्य वायर–सॉ मेथड से किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–44 के सरल क्रमांक–29 पर दर्ज है **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पूर्व दिशा में लगभग 530 मीटर की दूरी पर बेतवा नदी तथा 07 मीटर पर कच्चा रोड़, एक कच्चा रोड़ दक्षिण दिशा में 40 मीटर पर, एक कच्चा रास्ता/पगडंड़ी खनन् क्षेत्र के बीच से निकल रहा है तथा राजघाट तालाब दक्षिण दिशा में 1.40 किलोमीटर की दूरी पर है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।

2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

12. <u>Case No 9580/2023 Shri Ram Singh Ahirwar, Owner, R/o Village-Murel Kalan, Post-Murel Khurd, Tehsil-Raisen, District-Raisen(MP)-464551, Prior Environment Clearance for Murel Kalan Flag Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (1680 TPA) (Khasra No. 254/1), Village-Murel Kalan, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP)</u>

This is case of Flag Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 254/1), Village-Murel Kalan, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राम सिंह अहिरवार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री किशन शर्मा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र कमांक 358 दिनांक 20/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 270 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़, उत्तर–पूर्व दिशा में 400 मीटर तथा दक्षिण दिशा में 250 मीटर पर आबादी एवं आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच में से कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रायसेन के पत्र कमांक मा.चि./1461 रायसेन दिनांक 06/08/21 के अनुसार उक्त आवेदित स्थल का

623वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2023

संयुक्त सीमांकन प्रतिवेदन दल द्वारा निर्धारित की गई प्रश्नाधीन खदान की वन सीमा से न्यूनतम् 15 मीटर की दूरी पर स्थित है संभागीय आयुक्त समिति की बैठक दिनांक 04/9/21 से अनुमति प्राप्त है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र कमाक 1047 दिनांक 22/09/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा आवेदन में संपूर्ण प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर ली जावेगी । चूँकि प्रकरण बी–1 श्रेणी का है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 270 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़, उत्तर–पूर्व दिशा में 400 मीटर तथा दक्षिण दिशा में 250 मीटर पर आबादी एवं आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच में से कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र कमाक 1047 दिनांक 22/09/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा आवेदन में संपूर्ण प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर ली जावेगी । चूँकि प्रकरण बी–1 श्रेणी का है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

13. Case No 9588/2023 Shri Suresh Manwani, Divisional Manager, MPRDC, PWD Campus, In Front of Grand Hotel, Freegunj, Ujjain (MP)-456010 . Prior Environment Clearance for Construction of 750 bedded Hospital & seated Medical College at Khasra No. 225/1/1, Village-Banajli, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam, (MP). Total Plot Area of Ratlam Mediacl College- 1,50000 Sq.Meters (15.0ha.), Total Built-up for Hospital Area- 80,818.97 Sq. Meters. Env. Consultant: M/s. M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Limited , Gaziabad UP - TOR (Violation)

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of 750 bedded Hospital & seated Medical College at Khasra No. 225/1/1, Village-Banajli, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam, (MP). The total Plot Area of Ratlam Mediacl College- 1,50000 Sq.Meters (15.0ha.), Total Built-up for Hospital Area- 80,818.97 Sq. Meters.

The case was presented by PP Shri Suresh Manwani, Divisional Manager, MPRDC, PWD (online) and their Environmental Consultant Shri Krishna Chandra Panda (online) and Shri Himanshu Goyal from M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Limited, Gaziabad UP on dated 22/02/23. During presentation PP submitted that the Project 750 Bedded hospital & 150 Seated Medical College at Ratlam Madhya Pradesh and had been 100 % completed at project site by MPRDC hence falls under violation. Out of the total area allotted to medical campus, the total built-up area for the Hospital building & its component is 80818.97sq.m. The total cost of the project is approx. 273.93 Crores (Including Intuitional part and Hospital component). The cost of the Hospital is 124.54 Crore & rest campus project cost is 149.39 crore. The Medical College (medical college) includes hospital, residential and institutional parts. During presentation it was observed from the previous Google image that some trees were existing within the demarcated area thus PP shall provide the details wrt no of trees felled during construction, permission obtained for tree falling and extensive tree plantation scheme.During discussion committee suggested that if any diversion of natural drain was carriedout during the construction of the project, the details of the same shall be submitted alongwith the status of CTE from the MP Pollution Control Board. Two water bodies in the NW side at a distanbve of 300 meters and on the Southern side adjescent to the project boundry are in existence thus their protection plan shall be submitted with the EIA report. Committee also suggested that status of ground water level at the begning of construction and present shall be studied and discussed in the EIA report. Committee also suggested that if laundry is proposed, the details thereof that be submitted with EIA report alongwith STP and ETP details. The uploaded T&CP approval layout is not legiable thus legiable T& CP layout shall be submitted with EIA report.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018

recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits shall be submitted with EIA report.
2. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
3. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
4. Land acquisition status, R & R details (if any).
5. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5-6 locations in the study area of 10 Km.
6. Status report of constriction with details regarding its operational status and possession given so far in the staff quartes etc.
7. During presentation it was observed from the previous Google image that some trees were existing within the demarcated area thus PP shall provide the details wrt no of trees felled during construction, permission obtained for tree falling and extensive tree plantation scheme.
8. If any diversion of natural drain was carriedout during the construction of the project, the details of the same shall be submitted with EIA report.
9. Status of CTE from the MP Pollution Control Board shall be submitted with EIA report.
10. Two water bodies in the NW side at a distanbve of 300 meters and on the Southern side adjescent to the project boundry are in existence thus their protection plan shall be submitted with the EIA report.

11. Status of ground water level at the begning of construction and present shall be studied and discussed in the EIA report.
12. If laundry is proposed in the project, the its details shall be submitted with EIA report alongwith STP and ETP details.
13. The uploaded T&CP approval layout is not legiable thus legiable T& CP layout shall be submitted with EIA report.
14. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report with details of CO_2 emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
15. Provision of additional exit gate in the proposed project at the time of emergency shall be provided and details shall be provided with EIA report.
16. Copy of Fire NOC obtained from the concerned department and submitted with EIA.
17. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project. Under energy conservation plan detail proposals for solar panels, battery operated carts for patients, solar heating systems shall be studied and submitted with EIA report.
18. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
19. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
20. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
21. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
22. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area
23. Management of solid wastes and the construction & demolition waste for the project wrt to the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Waste Rules, 2016 alongwith Bio Medical Waste Management Rules, 2016 with copy of aggrement with facility provider shall be discussed in EIA report.
24. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

25. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
26. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.

14. Case No 9601/2023 M/s Ankita Stone Crusher, Proprietor, Ms. Pratima Singh, R/o Village-Haweli, Tehsil-Pushprajgarh, District-Anuppur (MP) Prior Environment Clearance for Haweli Stone Quarry in an area of 1.408 ha. (12540 cum per annum) (Khasra No. 547/1, 547/3), Village-Haweli, Tehsil-Pushprajgarh, District-Anuppur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 547/1, 547/3), Village-Haweli, Tehsil-Pushprajgarh, District-Anuppur (MP) 1.408 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 22/02/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

15. Case No 9616/2023 Shri Chandrika Verma, Divisional Project Engineer, PWD PIU, Bhind Road, DD Nagar, Gwalior (MP)-474012,. Prior Environment Clearance for Construction of 1000 bedded Hospital at Khasra No. 1804/3, 1804/4, 1460, 1461, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1547, 1548, 1549/1, 1549/2, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1805, 1837/1539, Village-Lashkar, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior M.P. Total Plot Area 86,280 Sq.Meters , Total Built-up 89270.73 Sq. Meters. Env. Consl.- M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Limited , Gaziabad UP - TOR (Violation)

This is case of Prior Environment Clearance for Construction 1000 bedded Hospital at Khasra No. 1804/3, 1804/4, 1460, 1461, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1547, 1548, 1549/1, 1549/2, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1805, 1837/1539, Village-Lashkar, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior Total Plot Area 86,280 Sq. Meters , Total Built-up 89,270.73 Sq. Meters.

The case was presented by PP Shri Chandrika Verma, Divisional Project Engineer, PWD PIU, Bhind and their Environmental Consultant Shri Ajay Mohan from M/s. In-Situ Enviro Care, Bhopal on dated 22/02/23. During presentation PP submitted that this is a violation project wherein the construction of the project, has been completed without taking prior Environmental Clearance. The project site is located at village Lashkar, Tehsil and District Gwalior, M.P. having Survey No.: 1804/3, 1804/4, 1860, 1461, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1547, 1548, 1549, 1549/1, 1549/2, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1805, 1539/1837. As the construction of the project, has been completed without taking prior Environmental Clearance. So, it is the case of Violation as per EIA Notification, 2006.

During presentation it was observed from the previous Google image that number trees were existing within the demarcated area before building construction thus PP shall provide the details wrt no of trees felled during construction, permission obtained for tree falling and extensive tree plantation scheme. The density of trees can also be calculated considering a good patch of trees in existence on the eastern side of the project area. During discussion committee suggested that if any diversion of natural drain was carriedout during the construction of the project, the details of the same shall be submitted. Committee also suggested that status of ground water level at the begning of construction and present shall be studied and discussed in the EIA report. Committee also suggested that if laundry is proposed, the details thereof that be submitted with EIA report alongwith STP and ETP details. During discussion PP was unable to provide the details of land use as per P-II form thus committee suggested that same shall be submitted with EIA report and shall be obtained from the land record section of collectorate.Committee also suggested that considering the number of trees were uprooted as per the previous google images, ecological damage caused due to tree falling and land use change shall be studied and discussed in the EIA report with their ecological addressal plan.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hence committee recommended to issue additional TOR as per

OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits shall be submitted with EIA report.
2. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
3. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
4. Land acquisition status, R & R details (if any).
5. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5-6 locations in the study area of 10 Km.
6. Status report of constriction with details regarding its operational status and possession given so far in the staff quartes etc.
7. During presentation it was observed from the previous Google image that number trees were existing within the demarcated area before building construction thus PP shall provide the details wrt no of trees felled during construction, permission obtained for tree falling and extensive tree plantation scheme. The density of trees can also be calculated considering a good patch of trees in existence on the eastern side of the project area.
8. If any diversion of natural drain was carriedout during the construction of the project, the details of the same shall be submitted.
9. Status of ground water level at the begning of construction and present shall be studied and discussed in the EIA report.
10. If laundry is proposed, the details thereof that be submitted with EIA report alongwith STP and ETP details.
11. PP was unable to provide the details of land use as per P-II form thus committee suggested that same shall be submitted with EIA report and shall be obtained from the land record section of collectorate.
12. Considering the numbers of trees were uprooted as per the previous google images, ecological damage caused due to tree falling and land use change shall be studied and discussed in the EIA report with their ecological addressal plan.

13. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report with details of CO_2 emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
14. Provision of additional exit gate in the proposed project at the time of emergency shall be provided and details shall be provided with EIA report.
15. Copy of Fire NOC obtained from the concerned department and submitted with EIA.
16. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project. Under energy conservation plan detail proposals for solar panels, battery operated carts for patients, solar heating systems shall be studied and submitted with EIA report.
17. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
18. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
19. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
20. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
21. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area
22. Management of solid wastes and the construction & demolition waste for the project wrt to the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Waste Rules, 2016 alongwith Bio Medical Waste Management Rules, 2016 with copy of aggrement with facility provider shall be discussed in EIA report.
23. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
24. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
25. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.

16. <u>Case No 9592/2023 M/s MGLS Mining Company, Partner, Shri Munendra Singh, R/o Narwariya, Panchsheel Nagar, District-Datia (MP)-475661 Prior Environment Clearance for Bahangikalan Laterite Deposit in an area of 9.010 ha. Productiom – 54,810 TPA (Khasra No. 583, 584, 585, 586, 587, 588 and 589), Village- Bahangikalan, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Laterite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 583, 584, 585, 586, 587, 588 and 589), Village-Bahangikalan, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP) 9.010 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मुनेंद्र सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, (ऑन लाईन) एवं श्री हिमांशु जोशी, मेसर्स ओसियो इंवायरों मैनेजमेंट सॉल्यूशन इं.प्रा.लि., गाजियाबाद उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 11727 दिनांक 30/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान का कुछ भाग पहाड़ पर तथा कुछ भाग समतल भूमि पर है तथा खदान के पश्चिम दिशा में लगभग 15 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़, 130 मीटर पर पक्का रोड़ तथा 145 मीटर की दूरी पर नहर, उत्तर दिशा में 130 मीटर तथा उत्तर–पूर्व दिशा में 475 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण लेटराईट खनन् का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 11727 दिनांक 30/09/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है, आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पश्चिम दिशा में लगभग 15 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़, 130 मीटर पर पक्का रोड़ तथा 145 मीटर की दूरी पर नहर, उत्तर दिशा में 130 मीटर तथा उत्तर–पूर्व दिशा में 475 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

4. लीज स्वीकृति आदेश में खसरा नं. 137/1, 137/2 एवं 139 उल्लेखित है जबकि फार्म–1 में 165,166,171 उल्लेखित किया गया है, इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. चूँकि आंवटित स्थल भाग पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 11727 दिनांक 30/09/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है, आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

17. <u>Case No 9599/2023 M/s Gajanan Mining India Pvt. Ltd., Director, Shri Durga Prasad Dixit, R/o Ward No. 22, Harshm Seva Sadan, 32 Indrapuri Colony, Near Devi Mandir, District-Tikamgarh (MP)-472001, Prior Environment Clearance for Kheriya Mrityu Stone Mine in an area of 2.203 ha. (40000 cum per annum) (Khasra No. 52), Village- Kheriya Mrityu, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 52), Village- Kheriya Mrityu, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP) 2.203 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दुर्गा प्रसाद दीक्षित (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, (ऑन लाईन) एवं श्री हिमांशु जोशी, मेसर्स ओसियो इंवायरों मैनेजमेंट सॉल्यूशन इं.प्रा.लि., गाजियाबाद उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 16649 दिनांक 19/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त, नगर पालिका निगम, ग्वालियर ने पत्र क्रमांक

02/21/2/10/राजस्व, दिनांक 17/09/21 के माध्यम से खनिज पट्टा आवंटत हेतु अपनी अनापत्ति दी गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान का अधिकांश भाग खुदा हुआ है तथा गूगल इमेज अनुसार वर्ष 2013 से खनन् गतिविधियॉ संचालित होती दिख रही है जिस संबंध में परियेाजना प्रस्तावक यह बतायें कि उनको यह खदान् इसी स्थिति में मिली है तथा 2013 से 2016 तक किसी अन्य परियोजना प्रस्तावक को आवंटित थी । खदान के पूर्व दिशा में लगभग 70 मीटर की दूरी पर, दक्षिण दिशा में 60 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है तथा उत्तर दिशा में 620 मीटर पर रेलवे लाइन है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । खदान के दक्षिण–पश्चिम दिशा में 75 मीटर पर पुराना सिविल स्ट्रक्चर तथा पश्चिम दिशा में 115 मीटर पर शेड स्थापित दिख रहे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराने केशर का स्ट्रक्चर है एवं पश्चिम दिशा में स्थापित शेड भी केशर हेतु बनाया गया साईट ऑफिस है । आवंटित खनन् क्षेत्र के पिट में पानी भरा हुआ है, अतः डी–वाटरिंग प्लांन तथा पिट की गहराई एवं गहराई के संदर्भ में किए जाने वाले खनन् कार्य का विवरण (पिटवॉटम स्पेस के साथ) ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नही है तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पूर्व दिशा में लगभग 70 मीटर की दूरी पर, दक्षिण दिशा में 60 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है तथा उत्तर दिशा में 620 मीटर पर रेलवे लाइन है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. आवंटित खनन् क्षेत्र के पिट में पानी भरा हुआ है, अतः डी–वाटरिंग प्लांन तथा पिट की गहराई के संदर्भ में किए जाने वाले खनन् कार्य का विवरण (पिटवॉटम स्पेस के साथ) ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नही है तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

18. Case No 9612/2023 Smt. Reema Adivasi W/o Shri Halkai Adivasi, R/o Gram-Vikrampura, Post-Jatara, District-Tikamgarh (MP)-472118 Prior Environment Clearance for Bela Stone Mine in an area of 2.203 ha. (1,20,000 Cum per annum) (Khasra No. 293), Village-Bela, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP)

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 293), Village-Bela, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP) 2.203 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रीमा आदिवासी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, (ऑन लाईन) एवं श्री हिमांशु जोशी, मेसर्स ओसियो इंवायरों मैनेजमेंट सॉल्यूशन इं.प्रा.लि., गाजियाबाद उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 11650 दिनांक 19/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त, नगर पालिका निगम, ग्वालियर ने पत्र क्रमांक 02/21/2/10/राजस्व, दिनांक 17/09/21 के माध्यम से खनिज पट्टा आवंटत हेतु अपनी अनापत्ति दी गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन अपलोड अक्षांश–देशांश के आधार पर (गूगल इमेज अनुसार खदान) इस प्रकरण के को–आर्डिनेट गूगल इमेज अनुसार 02 अन्य प्रकरणों (कमशः प्रकरण क्रमांक **9613/23 एवं 9569/23**) को ओव्हरलेप/इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि की यह को–आर्डिनेट हेंड हेल्ड जी.पी.एस. डिवाईस से लिये गये है जिसके कारण त्रुटि आने की संभावना है अतः वे डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर देगे तथा उनको पर्यावरणीय अध्ययन हेतु टॉर दे दिया जाये ताकि समय की बचत हो सके। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि उपरोक्त परिस्थति में परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।

623वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 फरवरी, 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 115 मीटर पर रेल्वे लाईन, दक्षिण–पूर्व दिशा में 370 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व दिशा में 1000 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नही है तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर दिशा में 115 मीटर पर रेल्वे लाईन, दक्षिण–पूर्व दिशा में 370 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व दिशा में 1000 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नही है तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

11. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

19. <u>Case No 9613/2023 Shri Arvind Kumar, Owner, House No. 3/777, Vastu Khand-3, Gomti Nagar, District-Lucknow (UP)-226010 Prior Environment Clearance for Bela Stone Mine in an area of 7.530 ha. (250000 Cum per annum) (Khasra No. 285, 286, 289, 292), Village-Bela, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 285, 286, 289, 292), Village-Bela, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP) 7.530 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अरविंद कुमार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, (ऑन लाईन) एवं श्री हिमांशु जोशी, मेसर्स ओसियो इंवायरों मैनेजमेंट सॉल्यूशन इं.प्रा.लि., गाजियाबाद उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 11651 दिनांक 19/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त, नगर पालिका निगम, ग्वालियर ने पत्र क्रमांक 02/21/2/10/राजस्व, दिनांक 17/09/21 के माध्यम से खनिज पट्टा आवंटत हेतु अपनी अनापत्ति दी गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन अपलोड अक्षांश–देशांश के आधार पर (गूगल इमेज अनुसार खदान) इस प्रकरण के को–आर्डिनेट गूगल इमेज अनुसार 02 अन्य प्रकरणों (कमशः प्रकरण क्रमांक **9612/23 एवं 9569/23**) को ओव्हरलेप/इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि की यह को–आर्डिनेट हेंड हेल्ड जी.पी.एस. डिवाईस से लिये गये है जिसके कारण त्रुटि आने की संभावना है अतः वे डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर देगे तथा उनको पर्यावरणीय अध्ययन हेतु टॉर दे दिया जाये ताकि समय की बचत हो सके। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि उपरोक्त परिस्थति में परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 110 मीटर पर रेल्वे लाईन, दक्षिण–पूर्व दिशा में 275 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व दिशा में 1000 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नही है तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर दिशा में 115 मीटर पर रेल्वे लाईन, दक्षिण–पूर्व दिशा में 370 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व दिशा में 1000 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नही है तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।
11. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

20. <u>Case No 9604/2023 Shri Sardar Singh Gurjar, Owner, 248, Paras Vihar Colony, District-Gwalior (MP) Prior Environment Clearance for Rawad Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.00 ha. (30000 cum per annum) (Khasra No. 1/1), Village-Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP)</u>

This is case of Stone (Gitti) Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1), Village-Rawad, Tehsil-Depalpur, District-

Indore (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सरदार सिंह गुर्जर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1719 दिनांक 07/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में लगभग 20 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 170 मीटर पर पक्का रोड़ एवं पश्चिम दिशा में 285 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी भाग से लगा हुआ पुरानी संरचना या केशर स्थापित दिख रहा है यह क्या है इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट करे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नही की गई अतः परियोजना प्रस्तावक जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर दिशा में लगभग 20 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 170 मीटर पर पक्का रोड़ एवं पश्चिम दिशा में 285 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी भाग से लगा हुआ पुरानी संरचना या केशर स्थापित दिख रहा है यह क्या है इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट करे।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नही की गई अतः परियोजना प्रस्तावक जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे ।

5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

21. <u>Case No 9605/2023 Shri Samrat Saraswar, Lessee, R/o Ward No. 27, Circuit House Road, District-Balaghat (MP)-481001, Prior Environment Clearance for Akola Crusher Stone Mine in an area of 1.620 ha. (16800 cum per annum) (Khasra No. 516), Village-Akola, Tehsil-Kirnapur, District-Balaghat (MP)</u>

This is case of Crusher Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 516), Village-Akola, Tehsil-Kirnapue, District-Balaghat (MP) 1.620 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 22/02/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

22. <u>Case No 9611/2023 Shri Deepak Agrawal, Owner, R/o Ward No. 11, Kasturba Ward, Tehsil-Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775 Prior Environment Clearance for Pipaliyagoli Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. Stone 18,998.1 m3/Year (47,495.25 TPA) (Khasra No. 2/1/1, 2/2), Village- Pipaliyagoli, Tehsil-Gauharganj, District-Raisen (MP)</u>

This is case of Crusher Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2/1/1, 2/2), Village- Pipaliyagoli, Tehsil-Gauharganj, District-Raisen (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

623वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2023

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री किशन शर्मा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1664 दिनांक 14/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में लगभग 60 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़, पश्चिम दिशा में 75 मीटर की दूरी पर मौसमी नाला तथा पूर्व दिशा में 225 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र बीच में से खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको खदान् इसी स्थिति में मिली है तथा अनुमोदित खनन् योजना अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र में एक पुराना पिट (5710 x 07) दिखाया गया है जिसमें से 39970 घन मीटर मिनरल निकाला जा चुका है । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 12/12/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में अद्यतन कर दिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित खनन् योजना जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करेगे। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में लगभग 60 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़, पश्चिम दिशा में 75 मीटर की दूरी पर मौसमी नाला तथा पूर्व दिशा में 225 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 12/12/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में अद्यतन कर दिया जावेगा । अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

23. <u>Case No 9617/2023 Shri Kumkum Kaurav Patel, Executive Engineer, Water Resources Department, Chhindwara (MP). Prior Environment Clearance for Proposed Sangam Dam-2 Project on the Kanhan River, Village Kohal Mal, Mohkhed Tehsil of Chhindwara District to Irrigate 1,10,000 ha. CCA in Jamai, Chhindwara, Mohkhed, Chaurai & Bichhua Tehsils of Chhindwara District M.P. Dam Capacity- 425 MCM, Approx. Length of Dam- 1657 Meters and Hydro- Power Production around 45 MW. Project Catogory- 1(c) under River Valley Project. Env. Con. M/s. R.S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd., Gurgaon (Haryana).</u>

This is a River Valley projects involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Sangam Dam-2 Project on the Kanhan River, Village Kohal Mal, Mohkhed Tehsil of Chhindwara District to Irrigate 1,10,000 ha. CCA in Jamai, Chhindwara, Mohkhed, Chaurai & Bichhua Tehsils of Chhindwara District M.P. Dam Capacity- 425 MCM, Approx. Length of Dam- 1657 Meters and Hydro -Power Production around 45 MW .

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri Kumkum

Kaurav Patel, Executive Engineer, Water Resources Department, Chhindwara (MP) on 22/02/23 with the following details of the project:

- Sangam 2 Dam is proposed to be constructed in the Kanhan Sub basin across Kanhan River, Chhindwara District to Irrigate 1,10,000 Ha Culturable command area in Jamai, Chhindwara, Mohkhed, Chaurai and Bichhua tehsils of Chhindwara District, Madhya Pradesh. In addition, project will generate power with 45 MW installed capacity. This is one of the three dams proposed as part of Chhindwara Irrigation Complex Scheme.
- Total Submergence is 2631 ha. out of which Forest land involved - 1464 ha. , 473 Govt. land, 694 Pvt. Land.
- For lifting water 02 no. of pump house is proposed
- Benefitted village- 372 nos.
- Submergence villages – 12 no. (Revenue)

During presentation, PP submitted that since project involves forest land the issue of Fc clearance is under process and status of FC clearance will be submitted with EIA report. The proposed project falls in Zone III - Moderate risk zone and the having the possibility of occurrence of natural disasters, hence proposed safety measures shall be detailed out in the EIA report. During presentation PP submitted that no forest land required for this project. The project involves 473.00 ha Govt. land thus status of this land as per land recoed of collectorate shall be submitted. If as per the record, Grazing land is involved, alternate proposal for development of garzing land be prepared as submittd with EIA report. The CAT plan shall be approved by the forest department. Committee also suggested that PP shall tabulate the number of trees falling under the submergence and compensatory plantation scheme shall be submitted with EIA report. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

1. Since project involves 1464 ha., forest area, F.C. clearance has to be obtained by PP and status of the same should be submitted with EIA report.
2. The proposed project falls in Zone III - Moderate risk zone and the having the possibility of occurrence of natural disasters, hence proposed safety measures shall be detailed out in the EIA report.
3. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.
4. The project involves 473.00 ha Govt. land thus status of this land as per land recoed of collectorate shall be submitted. If as per the record, Grazing land is

involved, alternate proposal for development of garzing land be prepared as submittd with EIA report.

5. The CAT plan shall be approved by the forest department.
6. PP shall tabulate the number of trees falling under the submergence and compensatory plantation scheme shall be submitted with EIA report.
7. Project involves 473 ha. Government land and 694 ha. Private Land, hence, issues of R&R to be discussed in EIA with proper provisions issued by various State /Central Government orders/ notification.
8. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.
9. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.
10. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.
11. Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.
12. All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.

24. <u>Case No 9618/2023 Shri Dinesh Sharma, Executive Engineer (Incharge), Narmada Development Division No. 1, Dindori (MP). Prior Environment Clearance for Upper Narmada Project at Near Village-Shobhapur, Tehsil-Dindori, District-Dindori and Pushprajgarh(Rajendragram) Tehsil of Anuppur District , (MP). Dam Culturablel Command Area (CCA)- 45,600 ha., Gross Command Area (GCA) – 59,083 ha. and Irrigated Command Area-45,600 ha. Height of Earth Dam – 23.77 meters and Height of Concrete Dam – 34.64 meters Length of Dam- 2430 Meters in which 182.5 meters long Spill –way. Project Catogory- 1(c) under River Valley Project. Env. Con. M/s. R.S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd., Gurgaon (Haryana).</u>

This is a River Valley projects involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed for Upper Narmada Project at Near Village-Shobhapur, Tehsil-Dindori, District-Dindori and Pushprajgarh Tehsil of Anuppur District (MP). Dam Culturablel Command Area (CCA)- 45,600 ha., Gross Command Area (GCA) – 59,083 ha. and Irrigated Command Area-45,600 ha. Height of Earth Dam – 23.77 meters and Height of Concrete Dam – 34.64 meters Length of Dam- 2430 Meters in which 182.5 meters long Spill –way. Project Catogory- 1(c) under River Valley Project.

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri Dinesh Sharma, Executive Engineer (Incharge), Narmada Development Division No. 1, Dindori (MP) on 22/02/23 with the following details of the project:

- ✓ Upper Narmada Project is the first of the series of projects proposed by the Government of Madhya Pradesh, across river Narmada.
- ✓ The project is located in districts Dindori and Anuppur in the state of Madhya Pradesh. The project envisages construction of a dam of 34.64 m height, near village Shobhapur.
- ✓ The Culturable Command Area (CCA) proposed from the project is 45600 ha in a Dindori tehsil of Dindori district and Pushparajgarh (Rajendragram) tehsil of Anuppur district.
- ✓ The Gross Command Area (GCA) and Irrigated Command Area (ICA) of the project are 59083 ha and 45600 ha respectively. The water spread area at FRL is 2952.16 ha.
- ✓ No forest land required for this project. Nearest Forest Parcel no. 480 – 5.15 Kilometers &3.44 KM from Orange Forest Parcel no. 0-1614.

- ✓ Distance from nearest protected area i.e. Ghaghua Fossil National park is 81 Kms.
- ✓ Total Govt. land 514.45 ha. & Pvt. Land-2437.71 ha.
- ✓ Total Submergence is 2952 ha.
- ✓ Total Village affected/ come under submergence (partly -23 and fully-04) -27 nos.

During presentation, PP submitted that no forest land is required for this project. The project involves 515.45.00 ha Govt. land thus status of this land as per land recoed of collectorate shall be submitted. If as per the record, Grazing land is involved, alternate proposal for development of garzing land be prepared as submittd with EIA report. The CAT plan shall be approved by the forest department. Since the project site is on Narmada River, thus if any Narnada parikrima Path is falling within the project boundary and being submerged, same shall be discussed in the EIA report alongwith alternate route. Committee also suggested that PP shall tabulate the number of trees falling under the submergence and compensatory plantation scheme shall be submitted with EIA report. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

1. The project involves 515.45.00 ha Govt. land thus status of this land as per land recoed of collectorate shall be submitted. If as per the record, Grazing land is involved, alternate proposal for development of garzing land be prepared as submittd with EIA report.
2. The CAT plan shall be approved by the forest department.
3. Since the project site is on Narmada River, thus if any Narnada parikrima Path is falling within the project boundary and being submerged, same shall be discussed in the EIA report alongwith alternate route.
4. PP shall tabulate the number of trees falling under the submergence and compensatory plantation scheme shall be submitted with EIA report.
5. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.
6. The total 514.45 ha. Government land 2437.71 ha. Private Land requirement hence, if any issue involved to R&R, to be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification.
7. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.

8. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.
9. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.
10. Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.
11. All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.

25. Case No 9619/2023 M/s Shiv Kripa Associate, Partner Smt. Manju Singh MIG-2-421, Near Housing Board Office, Priyadarshini Nagar, Jamodi, District-Sidhi (MP)-486771, Prior Environment Clearance for Beeradei Stone Quarry in an area of 1.091 ha. (13,367 Cum per annum) (Khasra No. 773/4, 773/5, 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 774/4, 774/5, 774/6, 774/7, 774/8, 774/9), Village-Beeradei, Tehsil-Hanumana, District-Rewa (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 773/4, 773/5, 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 774/4, 774/5, 774/6, 774/7, 774/8, 774/9), Village-Beeradei, Tehsil-Hanumana, District-Rewa (MP) 1.091 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मंजु सिंह (ऑनलाईन) एवं उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री प्रदीप जोशी (ऑन लाईन), श्री रामराधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 8727 दिनांक 22/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर

की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण दिशा में एंव 214 मी. पूर्व दिशा मे आबादी है, दक्षिण दिशा में एक कच्ची रोड़ – 295 मी. है, पश्चिम दिशा में 168 मीटर एंव उत्तर दिशा में 249 मी. पर नदी है परन्तु एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 8727 दिनांक 22/12/2022 अनुसार 100 मी. पर नदी होना सूचित किया गया है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में वस्तुस्थिति स्पष्ट करें व इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र निजी भूमि है तथा आस–पास काफी कृषि भूमि दृष्टिगत हो रही है अतः परियोजना प्रस्तावक इस प्रस्तावित खनन् के कारण आस–पास की कृषि भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा । इसके साथ–साथ यह जानकारी भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करेगा कि खनन् हेतु आवंटित भूमि की 20 साल तक की स्थिति में ईकोनोमिक वेल्यू कितनी है तथा इस जिले में परियोजना प्रस्तावक की लेंड होलडिंग कितनी है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–79 के सरल क्रमांक–34 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:–

1. खदान के दक्षिण दिशा में एंव 214 मी. पूर्व दिशा मे आबादी है, दक्षिण दिशा में एक कच्ची रोड़ – 295 मी. है, पश्चिम दिशा में 168 मीटर एंव उत्तर दिशा में 249 मी. पर नदी है परन्तु एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 8727 दिनांक 22/12/2022 अनुसार 100 मी. पर नदी होना सूचित किया गया है अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में वस्तुस्थिति स्पष्ट करें, एंव इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. आवंटित खनन् क्षेत्र निजी भूमि है तथा आस–पास काफी कृषि भूमि दृष्टिगत हो रही है अतः परियोजना प्रस्तावक इस प्रस्तावित खनन् के कारण आस–पास की कृषि भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
4. यह जानकारी भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे कि खनन् हेतु आवंटित भूमि की 20 साल तक की स्थिति में ईकोनोमिक वेल्यू कितनी है तथा इस जिले में परियोजना प्रस्तावक की लेंड होलडिंग कितनी है ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर चर्चा –

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आज की बैठक के दौरान प्रस्तुत की गयी। यह प्रकरण एजेण्डा में सूचीबद्ध नहीं था किंतु संबंधित टीकमगढ़, पन्ना, एंव नरसिंहपुर जिले से प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर पूर्व की बैठको मे चर्चा हो चुकी है अतः मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता नही है तथा जो जानकारी चाही गई है उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, टीकमगढ़ – 31 गौण खनिज (पायरोफिलाईट, डायस्पोर एंव क्वाटर्ज) (संशोधित)

आज दिनांक 22/02/2023 को टीकमगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अवलोकन करने पर समिति ने पाया कि टीकमगढ़ जिले की पुनरीक्षित अन्य 31 गौण खनिज (पायरोफिलाईट, डायस्पोर एंव क्वाटर्ज) खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– टीकमगढ़ के पत्र क0 4502 दिनांक 17/02/23 के माध्यम से सेक को दिनांक 20/02/23 प्राप्त हुई है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण करने पर यह पाया कि ।

- कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– टीकमगढ़ के पत्र क0 4502 दिनांक 17/02/23 में यह उल्लेख किया गया है कि रेत, गिट्टी, पत्थर, मुंरूम, ग्रेनाइट एवं 31 गौण खनिजो (पायरोंफ्लाईट, डायस्पोर एवं क्वाटज्) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 12/04/22 अनुमोदित हुआ था ।
- कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– टीकमगढ़ के पत्र क0 4502 दिनांक 17/02/23 में यह उल्लेख किया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जिले के पोर्टल पर 21 दिन की अवधि हेतु दिनांक 19/04/22 अपलोड किया गया था एंव निर्धारित अवधि में कोई सुझाव प्राप्त नही हुए ।
- प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर – 09 में (पेज न0. 23–29) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है।
- ग्रेनाइट की 02 खदानों के बारे में खनिज अधिकारी ने उल्लेख किया है कि इन खदानों की पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ति स्वीकृत है एवं इनपर पर्यावरण स्वीकृति पश्चात् इन पर विचार किया जावेगा

।

- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो (2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल कमांक–निरंक (पेज क0. 57 से 59) मे दे दी गई है।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– टीकमगढ़ के पत्र क0 4502 दिनांक 17/02/23 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति टीकमगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 31 गौण खनिजों (पायरोफ्लिाईट, डायस्पोर एंव क्वाटर्ज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पन्ना – अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर (संशोधित) ।

आज दिनांक 22/02/2023 को पन्ना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर (संशोधित) के अवलोकन करने पर समिति ने पाया कि पन्ना जिले की पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से सेक में दिनांक 19/01/23 को (केवल साफ्ट कॉपी) कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– पन्ना के पत्र क0 84 दिनांक 19/01/23 (परन्तू उल्लेखित पत्र में दिनांक त्रृटि वश 19/01/22 लिखी गयी है) से प्राप्त हुई है, प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण करने पर यह पाया कि:–

- प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता कि यह DSR जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित की गई है तथा इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जिले के पोर्टल पर 21 दिन की अवधि हेतु अपलोड किया गया था एंव निर्धारित अवधि में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

- प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर – 09 में (पेज न0. 35–99) में फर्शी पत्थर, बोल्डर, गिट्टी, ग्रेनाईट, मुरूम, एम–सेण्ड की जानकारी 16 कॉलमों मे समाहित की गयी है,परन्तु कॉलम न0. 09–10 में वांछित जानकारी अधिकांश प्रकरणों में नही दी गई है, ना ही इस संबंध में कोई टीप दी गई है। अतः उक्त जानकारी को समावेश करते हुये पुनरिक्षित कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जानकारी की संबंधित तालिका (16 बिन्दुओं की) मे पुनः प्रस्तुत करें।

- समिति ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के परीक्षण के दौरान यह भी पाया कि 16 बिन्दुओ के अंतर्गत प्रदाय खदानों की जानकारी की पुनरावर्ती (Repeat) हो रही है जैसे पेज न0. 54 एंव 55 मे दी गई खदानों की जानकारी पेज न0. 70 एंव 78 में Repeat हो रही है। अतः इस तालीका की

जानकारी को सावधानी पूर्वक पुनरिक्षित कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जानकारी की संबंधित तालिका (16 बिन्दुओं की) मे पुनः प्रस्तुत करें।

- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल कमांक–निरंक (पेज क0 122–135) मे दे दी गई है। समिति का यह भी सुझाव है, कि संबंधित खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि सभी उल्लेखित खदानों की जानकारी का संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार के अनुसार पूर्ण विवरण का समावेश हो जाये।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि पन्ना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये एंव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार बनाई जाये तथा समिति की सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के परिपेक्ष्य में संशोधित कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हार्ड एंव सॉफ्ट कॉपी में पुनः प्रस्तुत की जाये।

3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज–गिट्टी एंव डोलोमाईट, सोप स्टोन, फायर–क्ले खनिज) नरसिंहपुर।

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क0. 111, 113 दिनांक 14/01/23 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–नरसिंहपुर (अन्य गौण खनिज गिट्टी एंव डोलोमाईट, सोप स्टोन, फायर–क्ले खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

आज दिनांक 22/02/2023 को नरसिंहपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण करने पर पाया गया कि:–

प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज–गिट्टी एंव डोलोमाईट, सोपस्टोन, फायर–क्ले) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है। जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तलिका के पेज क0. 26, 27 एंव 29 मे जानकारी (16 बिन्दुओं वाली टेबल) निर्धारित फार्मेट के अनुसार नही दी गई है। अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार बनाई जाये।

- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी भी नही दी गई है।

623वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 फरवरी, 2023

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि नरसिंहपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज–गिट्टी एंव डोलोमाईट, सोपस्टोन, फायर–क्ले) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये एंव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार बनाई जाये तथा समिति की सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के परिपेक्ष्य में संशोधित कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हार्ड एंव सॉफ्ट कॉपी में पुनः प्रस्तुत की जाये।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.

16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.

- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

35. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
36. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
37. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
38. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई / गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई--गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीविता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।